UGC Approved and Notified Journal - Sr. N. 48654 IIJIF Impact Factor- 2.597

Regd. No. 1305/2014-2015 ISSN : 2395-4965

Asian Journal of Advance Studies

An International Research Refereed Journal for Higher Education
A Multidisciplinary Research Journal for All

Quarterly Journal

April - June 2017

Vol. III 2017 No. 2

Editor- in- Chief

Anil Kumar
Faculty of Law
Banaras Hindu University
Varanasi

UGC Approved Journal Sr.No. 48654 **IIJIF Impact Factor 2.597**

Asian Journal of Advance Studies

An International Research Refereed Journal Related to Higher Education
A Multidisciplinary Research Journal for All

Vol. III, No. 2, April-June, 2017, ISSN 2395-4965

Contents

Pregnancy Induced Gastrointestinal Disorders	*Dr Anjana Saxena*	1-4
Denotified Tribes: From Notified Criminals To Notified Offender	*Rahul Kumar Singh*	5-8
The Obligation To Prosecute International Law Crimes	*Aarti Singh*	9-15
The Doctrine Of Pleasure In The Indian Constitution: An Overview	*Ravindra Narayan Tiwari*	16-23
[illegible] की साहित्यिक भाषा	*डॉ0 ज्योति दूबे*	24-26
[illegible] चेतना और शुक्लोत्तर हिन्दी निबन्ध	*डॉ0 सुजीत कुमार सिंह*	27-30
[illegible] व दादू का तुलनात्मक अध्ययन	*अनीता देवी*	31-32
[illegible] दृष्टि से सद्धर्मपुण्डरीक सूत्र का परिचय	*उपेन्द्र कुमार*	33-37
डा. बी.आर.अम्बेडकर का सामाजिक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में योगदान	*सत्येन्द्र कान्त मौर्य*	38-43
[illegible] अम्बेडकर एवं दासता : एक विश्लेषण	*(श्रीमती) सुनीता सोनकर*	44-47
[illegible] के उपन्यासों में बदलते हुये परिवेश	*सूचिका यादव*	48-51
[illegible] की आयु का निर्धारण : एक विवादित दृष्टिकोण	*शिवाकान्त प्रजापति*	52-55
[illegible] कालीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी : एक परिचय	*सौरभ कुमार सिंह*	56-62
Harappan Civilization's Role In Rise Of Second Urbanization In Ganga Valley: An Examination	*Shail Bala Mishra*	63-68
Cruelty In Dowry Death: In India Human Rights Perspective	*Akhilesh Kumar*	69-76
Changing Law on Rape: A Critical Evaluation	*Dr. Raju Majhi*	77-84
Dispute Settlement At The WTO: The Developing Countries Perspective	*Navin Kumar*	85-91
Jurisdictional Issues In Online Transactions	*Dr. Ankur Srivastava*	92-97
Effect of Pinching, Urea And GA_3 on Growth, Flowering And Seed Attributes In African Marigold (*Tagetes erecta* L.)	*Harsh Vardhan Singh, Durgesh KumaYadav, Dr Diwakar Singh*	98-104
[illegible] of Judiciary and Execution of Law In India	*Dr. Saptmuni Dwivedi*	105-108

Kakochang Village: A Rural Tourism Driven Economy; A Case Study Of Kakochang Village In Karbi Anglong District	*Chiranjib Chawlek*	331-334
Information System For Animal Science Expremients In Lucknow	*Dr. Shilpi Verma*	335-341
Right Of Indigenous Women Over Forest: A Sustainable Management Of Natural Resources In India In The Context Of Globalisation	*Dr. Sangeeta Rani*	342-347
India's Asia-Pacific Strategy: Challenges and Opportunities	*Dr. Govind Gaurav*	348-353
Smooth Functioning of E-Governnance In India And Its Challenges	*Pradeep Kumar Singh*	354-362
तुलसी और रहीम के काव्य में समतामूलक दृष्टि	*अजीत कुमार धुसिया*	363-366
हिन्दी उपन्यासों में जनजातीय स्वर	*शशि कुमार वर्मा*	367-368
पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से दलित सशक्तीकरण	*पुनिल कुमार*	369-371
सहजता के कथाकार उदय प्रकाष	*जयंती सिंह*	372-375
सम्मान हत्या : एक सामाजिक अभिशाप	*हरि शंकर सिंह*	376-380
भारतीय लोकतन्त्र में सामाजिक न्याय की अवधारणा : एक अध्ययन	*डॉ0 अनिल कुमार*	381-386
भारतीय लघुचित्रों में काव्य और नारी सौन्दर्य	*डॉ0 नरेन्द्र सिंह*	387-390
डा० भीमराव अम्बेडकर की शैक्षिक विचारधाराऐं एवं उसकी उपयोगिता	*डॉ0 अरूण कुमार*	391-394
माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः	*डॉ0 सुमन लता देवी*	395-397
काव्यगुण के बहाने नैषधीयचरित की विवेचना	*डॉ0 आशा गुप्ता*	398-400
बहु-विकलांगता	*मीना कुमारी*	401-406

बहु–विकलांगता

मीना कुमारी[*]

बहुविकलांगता का तात्पर्य दो या दो अधिक विकलांगता का होना है। बहु विकलांगता न तो संक्रामक है और न ही आनुवांशिक है। जिस प्रकार अन्य विकलांगताएं जन्मजात, जन्म के समय अथवा जन्म के बाद होती है, उसी प्रकार बहुविकलांगता भी होती है। कभी–कभी मानसिक मंद बच्चे 15–20 वर्ष की अवधि में अल्पदृष्टि बाधित हो जाते है। इस स्थिति में उन्हें मानसिक विकलांग न कहकर बहुविकलांग की संज्ञा दी जाती है। इसी प्रकार दृष्टि बाधित व्यक्ति का चोट के कारण यदि कोई अंग प्रभावित हो जाता है तो उसे भी बहुविकलांग कहते है। कभी–कभी मानसिक मंदता के साथ प्रमस्तिष्किय पक्षाघात भी हो जाती है, इस स्थिति को भी बहुविकलांगता कहते है। इस स्थिति को भी बहुविकलांगता कहते है। कभी–कभी प्रमस्तिष्कय पक्षाघात से ग्रसित व्यक्ति में बहुत सी सहसंबंधित समस्याएं पायी जाती है जिसके कारण उनमें भ्रांति पैदा हो जाती है। चूंकि प्रमस्तिष्किय पक्षाघात वाले व्यक्ति में किसी कार्य को करने में देरी, अथवा अक्षम होना, स्पष्ट वाक्य का उच्चारण न करके कुछ सीमिति शब्दों का ही उच्चारण करना अथवा अवाक् रहना, मुंह से लार गिरना इत्यादि समस्याएं होती है। इसलिये उस सहसंबंधित समस्या को बहुविकलांगता नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार श्रवण बाधित तेज गति से चलने में सक्षम न हो तो इसका अर्थ यह है कि वह बहुविकलांग है बल्कि उसके साथ जो भी हो रहा है वह द्वितीयक समस्या है।

सामान्य तौर पर जब एक ही व्यक्ति में दो या दो से अधिक प्रकार की विकलांगता पाई जाती है तो ऐसे व्यक्ति को बहु विकलांगता की शैक्षणिक, सामाजिक एवं मानसिक विकास के आधार पर व्याख्या करने से स्पष्ट होता है कि "बहु–विकलांगता से आशय ऐसे समस्याग्रस्त व्यक्ति से है जिसकी समस्याएं विद्यमान विकलांगताओं के प्रभाव स्वरुप एक नये रुप में दिखाई पड़ती हैं। यदि एक व्यक्ति बधिरांध है, तो उसकी समस्या का आकलन कर्ण–बधिर की समस्या तथा दृष्टिबाधित की समस्या का अलग–अलग रुप न होकर एक तीसरी प्रकार की समस्या पैदा होती है। इस प्रकार एक बधिरांध व्यक्ति के लिये बधिर व नेत्रहीन बच्चों को प्रशिक्षित करने वाला शिक्षक उपयोगी नहीं हो सकता बल्कि इसके लिये दोनों विकलांगताओं से युक्त व्यक्ति की समस्या का जानकार व्यक्तियों प्रशिक्षक ही ऐसे बच्चों को उचित शिक्षण एवं प्रशिक्षण दे सकता है।

जब किसी व्यक्ति में दो या दो से अधिक प्रकार की विकलांगता एक साथ पाई जाती है तो इस स्थिति को बहुविकलांगता कहते हैं तथा उस व्यक्ति को बहुविकलांग के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार उपर्युक्त उद्धरण से स्पष्ट होता है कि बहुविकलांगता का अर्थ ही एक से अधिक विकलांगता से है। बहुविकलांग व्यक्तियों में भिन्न–भिन्न प्रकार की समस्याएं पायी जाती हैं। कुछ बहुविकलांग व्यक्तियों में दृष्टि अक्षमता के साथ–साथ गामक अक्षमता होती है जिससे उन्हें देखने एवं चलने में समस्या होती है। इसी प्रकार यदि व्यक्ति में श्रवण समस्या के साथ साथ दृष्टि समस्या होती है तो अन्य बहुविकलांग व्यक्ति की अपेक्षा इस प्रकार के व्यक्तियों की समस्याएं अधिक जटिल हो जाती है क्योंकि इन्हें श्रवण समस्या के साथ साथ वाणी एवं भाषा की समस्या होती है तथा चक्षु विकलांगता के कारण उन्हें स्थानान्तरण एवं दैनिक क्रिया कलाप में समस्या होती है।

बहुविकलांगता की परिभाषा–

फेडरल परिभाषा दिव्यांग (विकलांग) जनशिक्षा अधिनियम–1990 के अनुसार, "कुछ ऐसी क्षतियां (जैसे–मानसिक मंदता, चक्षु हीनता, मानसिक मंदता, आर्थोपेडिक क्षति इत्यादि) को बहु–विकलांगता में सम्मिलित किया गया था लेकिन शैक्षिक स्तर से तीन समस्या, बहरे–चक्षुहीन को बहु–विकलांगता में शामिल नहीं किया गया था।"

[*]Assist. Prof.(Special Edu.) Guru Ghasidas University, Bilaspur(C.G.)